पत्रांक–2ब०/जला०–01–118/2016 123 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।

कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

कार्यपालक अभियंता,
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण, बिहार।

पटना, दिनांक– 11/01/17

विषय:– **"मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के लिए तैयार किये गये संशोधित मॉडल प्राक्कलन एवं मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:– **विभागीय पत्रांक–8178, दिनांक–08.11.2016 एवं पत्रांक–7932, दिनांक–27.10.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" अंतर्गत हर घर में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु मॉडल प्राक्कलन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया था।

2. शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों एवं में हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के सभी क्षेत्रों में उक्त योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए उक्त मॉडल प्राक्कलन में कतिपय संशोधन किया गया है। संशोधित मॉडल प्राक्कलन कुल 08 श्रेणियों में यथा– गुणवत्ता प्रभावित एवं गुणवत्ता रहित क्षेत्रों के 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों के लिए अलग–अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। तद्नुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका में भी संशोधन किया गया है।

3. संशोधित मॉडल प्राक्कलन एवं मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर 'Model Estimate' एवं 'Mukhyamantri Nischay Yojana' के लिंक पर अपलोड किया जा चुका है, जिसे ***www.udhdbiharcontacts.in/model_estimates/*** एवं ***www.udhdbiharcontacts.in/nischay/model_estimates.html*** लिंक के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि संशोधित मॉडल प्राक्कलन एवं मार्गदर्शिका का प्रिंट आउट लेने के उपरांत शीघ्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
10/1/2017
सरकार के प्रधान सचिव।

10/1/17

ज्ञापांक–02ब०/जला०–01–118/2016 123/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 11/01/17

प्रतिलिपि:– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/17

10/1/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

आनन्द

मुख्यमंत्री निश्चय "हर घर नल का जल" के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका

1.पृष्ठभूमि :–

माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों में से 3 निश्चय नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने हैं इनमें से "हर घर नल का जल" निश्चय को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए ये दिशानिर्देश तैयार किये गए हैं।

मई–जून 2016 में किये गए सर्वे के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 140 शहरों में रहने वाले 19,05,292 परिवारों में से लगभग 82 प्रतिशत परिवारों को पेयजल पाईपलाईन से कनेक्शन नहीं दिया गया है जिसके कारण ऐसे परिवार या तो स्वयं के द्वारा निर्मित जल स्त्रोत से पानी ले रहे है या अपने घर से दूरस्थ सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत से पानी ला रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को पाईपलाईन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने हेतु पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की है। इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय नगर निकाय को सौपी गई है। वर्णित कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रदान की जानी है। आवश्यकता पड़ने पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थानीय प्रमंडल से भी तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा 250, 500, 1000 एवं 1500 परिवारों के लिए छोटी छोटी पेयजल परियोजनाओं के मॉडल प्राक्कलन बनाये गए हैं। नगर पंचायतों में समान्यतः एक वार्ड में 500 परिवार तथा नगर परिषद् में 1000 परिवार होते हैं। योजना के कार्यान्वयन हेतु समान्यतः वार्ड को इकाई माना गया है। इसमें नगर पंचायतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे 500 परिवारों के लिए एक मॉडल का चयन करें या 250 परिवारों के लिए दो मॉडल प्राक्कलन का चयन करें। इसी प्रकार नगर परिषदों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे 1000 परिवारों के लिए 500 के दो या 250 के चार या 500 के एक और 250 के दो मॉडल का चयन करें। मॉडल प्राक्कलन का चयन भूमि की उपलब्धता, वार्ड का आकार एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर करते हुये नगर निकाय सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर ई–निविदा के माध्यम से योजनाओं को कार्यान्वित कर शहर के सभी परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

मॉडल प्राक्कलन में प्रावधान किये गये विभिन्न अवयवों की विशिष्टयॉ निम्न प्रकार है :–

उच्च प्रवाही नलकूप में व्यवहृत होने वाले 150mm एवं 100 mm का केसिंग पाईप UPVC का है, जिसका न्यूनतम Wall thicknes 5 mm होना चाहिए। 300 mm का केसिंग पाईप Mild Steel का है, जिसका न्यूनतम Wall thicknes 6 mm होना चाहिए एवं 200 mm का केसिंग पाईप Mild Steel का है, जिसका न्यूनतम Wall thicknes 5.4 mm होना चाहिए। 200 mm का Screen पाईप Mild Steel का है, जिसका न्यूनतम Wall thicknes 5.4 mm होना चाहिए।

वितरण प्रणाली के कार्य में व्यवहृत होने वाले 63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm एवं 250 mm dia के HDPE PE-100 (PN-8) का प्रतिमीटर दर क्रमशः 119.39, 245.07, 363.93, 592.22, 974.54 एवं 1521.56 रूपये है।

मॉडल प्राक्कलनों में सन्निहित मुख्य अवयवों की विवरणी :–

Table - 1

क्र0	विवरणी	मॉडल प्राक्कलन				अभियुक्ति
		250 परिवारों के लिए	500 परिवारों के लिए	1000 परिवारों के लिए	1500 परिवारों के लिए	
1	उच्च प्रवाही नलकूप	150mmX 100mmX 150M	200mmX 150mmX 150M	300mmX 200mmX 150M	300mmX 200mmX 150M	
2	मोटर/पम्प	5 HP Submersible	7.5 HP Submersible	12.5 HP Submersible	20 HP Submersible	
3	वितरण प्रणाली					
	250 मी0मी0	0	0	0	500 मी0	
	200 मी0मी0	0	0	500 मी0	900 मी0	
	160 मी0मी0	0	200 मी0	900 मी0	0	
	110 मी0मी0	250 मी0	400 मी0	0	5600 मी0	
	90 मी0मी0	300 मी0	900 मी0	3500 मी0	0	
	63 मी0मी0	1476 मी0	3450 मी0	4940 मी0	9335 मी0	
	कुल	2026 मी0	4950 मी0	9840 मी0	16335 मी0	
4	गृह जल संयोजन	250 अदद	500 अदद	1000 अदद	1500 अदद	
5	लौह निष्काशन संयंत्र	15800 लीटर प्रति घंटा	31500 लीटर प्रति घंटा	63000 लीटर प्रति घंटा	94500 लीटर प्रति घंटा	गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिये।

राज्य के 21 शहरों (हाजीपुर, मोतीहारी, बगहा, बेतीया, छपरा, आरा, सिवान, औरंगाबाद, सासाराम, डिहरी, किशनगंज, बेगूसराय, सहरसा, जमालपुर, मुंगेर, कटिहार, बिहारशरीफ ,जहानाबाद, बक्सर, दरभंगा एवं पूर्णिया) में वृहद् पेयजल परियोजनायें केन्द्र–राज्य–निकाय की भागीदारी युक्त AMRUT योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं जिनका कार्यान्वयन BRJP द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त 8 (आठ) बड़े शहरों जैसें पटना, भागलपुर, गया, दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर, बोधगया की पेयजल परियोजनायें जो JNNURM अथवा ADB द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत है, का कार्यान्वयन BUIDCO द्वारा किया जा रहा है। शेष बचे 111 शहरों (चकिया, महुआ, साहेबगंज, नरकटियागंज, मोतीपुर, कांटी, लालगंज, महनार, सुगौली, अरेराज, पकडीदयाल, मेहसी, चनपटिया, सोनपुर, मुरलीगंज, कोईलवर, शाहपुर, कोआथ, कटैया, नासरीगंज, कोचस, रफीगंज, मैरवां, भभूआ, मोहनियॉं, पीरो, बिहियॉं, नोखा, नबीनगर, दिघवारा, मढौरा, रिवीलगंज, एकमा बाजार, परसा बाजार, महराजगंज, मीरगंज, बरौली, ठाकुरगंज, बीरपुर, दलसिंह–सराय, खगड़िया, बिहट, नवगछियां, कहलगांव, बांका, अमरपुर, रोसड़ा, हवेली–खड़गपुर, गोगरी–जमालपुर, बखरी,

तेघड़ा, बलियां, बहादुरगंज, मनिहारी, टेकारी, खुशरूपुर, बांढ, मोकामा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मनेर, बख्तियारपुर, नौबतपुर, शेरघाटी, बडहियां, झांझा, बरबीघा, जनकपुर रोड़, डुमरा, घोधरडीहा, बेलसंड़, जयनगर, हिलसा, बेनीपुर, मधुवनी, फारबीसगंज, सिलाव, राजगीर, वारसलीगंज, हिसुआ, बैरगनियां, झांझारपुर, कसबा, बनमनखी, जोगबनी, ढांका, रक्सौल, केसरियां, रामनगर, शिवहर, निर्मली, मधेपुरा, बिक्रमगंज, डुमरांव, जगदीशपुर, दाउदनगर, गोपालगंज, सिमरी–बख्तियापुर, समस्तीपुर, सुलतानगंज, मसौढी, बिक्रम, फतुहां, मखदुमपुर, अरवल, सीतामढ़ी, नवादा, इस्लामपुर, अररिया एवं सुपौल) के लिए छोटी छोटी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कर स्थानीय नगर निकायों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

2. योजनाओं का निर्माण :–

शेष बचे 111 शहरों को निम्नांकित चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :–

श्रेणी– 1 वैसे शहर जहॉ बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा आंशिक शहर के लिए जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

श्रेणी– 2 वैसे शहर जहॉ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आंशिक शहर के लिए जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है।

श्रेणी– 3 वैसे शहर जहॉ पूर्व से पुरानी जलापूर्ति योजना कार्यरत है।

श्रेणी– 4 वैसे शहर जहॉ किसी भी तरह की जलापूर्ति योजना कार्यरत नहीं है।

श्रेणी 1 के शहरों के लिये तीन पार्ट में निर्माण कार्य किया जा सकता है :–

- नगर निकाय द्वारा विद्यमान/कार्यरत पाईप लाईन में गृह जल संयोजन के कार्य।
- नगर निकाय द्वारा विद्यमान/कार्यरत पाईप लाईन के अंतिम छोरों पर छोटे साईज के पाईप से विस्तारीकरण कार्य।
- नगर निकाय द्वारा शेष बचे क्षेत्रों के लिये छोटे–छोटे जलापूर्ति योजनाओं के कार्य।

श्रेणी 2 के शहरों के लिये तीन पार्ट में निर्माण किया जा सकता है :–

- नगर निकाय द्वारा विद्यमान/कार्यरत पाईप लाईन में गृह जल संयोजन के कार्य।
- नगर निकाय द्वारा विद्यमान/कार्यरत पाईप लाईन के अंतिम छोरों पर छोटे साईज के पाईप से विस्तारीकरण कार्य।
- नगर निकाय द्वारा शेष बचे क्षेत्रों के लिये छोटे–छोटे जलापूर्ति योजनाओं के कार्य।

श्रेणी 3 के शहरों के लिये तीन पार्ट में निर्माण किया जा सकता है :–

- नगर निकाय द्वारा विद्यमान/कार्यरत पाईप लाईन में गृह जल संयोजन के कार्य।
- नगर निकाय द्वारा विद्यमान/कार्यरत पाईप लाईन के अंतिम छोरों पर छोटे साईज के पाईप से विस्तारीकरण कार्य।
- नगर निकाय द्वारा विद्यमान/कार्यरत पाईप लाईन के मरम्मति कार्य।
- नगर निकाय द्वारा शेष बचे क्षेत्रों के लिये छोटे–छोटे जलापूर्ति योजनाओं के कार्य।

(29)

श्रेणी 4 के शहरों के लिये छोटे–छोटे विकेन्द्रीकृत जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा सकता है।

छोटे–छोटे विकेन्द्रीकृत जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के क्रम में निम्नाकिंत चरणों का अनुपालन किया जा सकता है :–

I. **सर्वप्रथम आच्छादित किये जाने वाले क्षेत्रों में बोरिंग कार्य हेतु उपयुक्त स्थल (लगभग 25 फीट X 25 फीट) का चुनाव :–**

नगर निकाय को इस योजना के लिए पेयजल स्त्रोत के रूप में नलकूप निर्माण हेतु स्थान का चयन करना है और उसे Ward के नक्शे में दर्शाना है। नलकूप के स्थान के चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उस स्थान पर भूगर्भ में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार हो। इसके लिए नगर निकाय स्थानीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता से भी राय ले सकते है।

II. **बोरिंग हेतु चयनित उपयुक्त स्थल से आच्छादित होने वाले क्षेत्रों के नजरी नक्शा में सभी सड़कों की लम्बाई को दर्शाना। आच्छादित होने वाले क्षेत्र एक वार्ड/अन्तरवार्ड हो सकते है :–**

नगर निकाय को ऐसे वार्डो के नजरी नक्शे में सभी सड़कों पर Existing एवं Proposed पाईप लाईन दर्शानी हैं और कम से कम 250 एवं अधिकतम 1500 ऐसे सभी परिवारों को चिन्हित करना है जिनके पास पेयजल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तथा जिनको एक नलकूप से सम्बन्ध Existing तथा Proposed पाईप लाईन से कनेक्शन दिया जा सके। यदि कोई सड़क दो वार्डो को विभाजित करती है तो उस सड़क के दूसरी ओर के घरों को भी योजना में शामिल करें भले ही वे घर दूसरे वार्ड में स्थित हों। इस प्रकार एक सड़क पर एक पाईप लाईन से सड़क की दोनो ओर के घरों को कनेक्शन दिए जा सकता है। वार्ड के नक्शे में योजना के इन सभी अवयवों को दर्शाया जाए।

III. **आच्छादित होने वाले क्षेत्रों में परिवारों की संख्या/कुल जनसंख्या का आकलन :–**

स्थानीय निकायों में वार्डवार एवं सड़कवार परिवारों की संख्या/कुल जनसंख्या एवं जिनके पास गृह जल संयोजन उपलब्ध नहीं है का आकलन नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के बुनियादी सर्वेक्षण में प्राप्त गणना के आधार पर किया जा सकता है।

IV. **आच्छादित क्षेत्र की जनसंख्या एवं सड़क की लम्बाई के आधार पर बोरिंग/पम्प मोटर एवं वितरण प्रणाली का 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर डिजाईन करना अथवा बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये मानक प्राक्कलन (तकनीकी अनुमोदित) के अनुसार प्रस्ताव तैयार करना:–**

नलकूप में 250 परिवार, 500 परिवार, 1000 परिवार एवं 1500 परिवारों के लिये क्रमशः न्यूनतम 5 HP, 7.5 HP, 12.5 HP एवं 20 HP के सबमर्सिबल पम्प का प्रावधान किया जाना चाहिए। सबमर्सिबल पम्प उच्च गुणवत्ता का भारतीय मानक IS 8034:2002 के अनुरूप एवं राष्ट्रीय स्तर की कम्पनी जैसे Kirloskar, Crompton, KSB द्वारा बनाया गया हो और कम से कम 1 साल की Warranty प्राप्त हो। यदि एक वार्ड में 250 से कम ऐसे परिवार हों जिनमें पेयजल connection नहीं है तो एक योजना में एक से अधिक वार्डो के परिवार भी लिए जा सकते हैं और यदि एक वार्ड में

500 से अधिक ऐसे परिवार हो जिसमें पेयजल connection उपलब्ध नहीं है तो एक वार्ड में एक से अधिक योजनायें भी बनायी जा सकती है। पाईप का साईज नलकूप से पाईप लाईन के अंतिम छोर तक अधिकतम से घटते घटते न्यूनतम तक होना चाहिए। अनुमानतः पाईप लाईन का साईज कम से कम 63mm तथा अधिकतम 250mm होना चाहिए। मॉडल प्राक्कलन में साईज के अनुसार पाईपों की लम्बाई दर्शायी गई है। Table – 1 पृष्ठ सं0– 2 पर द्रष्टव्य।

v. **प्रस्ताव पर बिहार राज्य के एस0ओ0आर0 के आधार पर बी0ओ0क्यू0 (परिमाण विपत्र) का निर्माण :–**

प्रत्येक योजना की विशिष्ट संख्या एवं नाम दिया जाना चाहिए। कोई भी नगर निकाय योजना के निर्माण हेतु तकनीकी सलाह के लिए बिहार राज्य जल पर्षद/स्थानीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/बुडा के अभियंताओं से सम्पर्क कर सकते है। उपरोक्त सभी अवयवों का डिजाईन एवं उनको वार्ड नक्शों पर चिन्हित करने के पश्चात् बिहार राज्य की SOR के आधार पर प्राक्कलन/परिमाण विपत्र तैयार किया जाए। मॉडल प्राक्कलन में सभी अवयवों का दर दर्शाया गया है। यदि किसी भी अवयव की मात्रा में कोई बढ़ोतरी अथवा घटोतरी होती है तो मात्रा के अनुसार प्राक्कलित राशि को बढ़ाया/घटाया जा सकता है। बढ़ोतरी अगर 10 प्रतिशत से अधिक होती है तो फिर से तकनीकी स्वीकृती प्राप्त करना आवश्यक होगा।

VI. **नगर निकाय द्वारा परिमाण विपत्र एवं निविदा आमंत्रण सूचना तैयार करने के उपरान्त निकाय के बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित की जा सकती है :–**

मार्गदर्शिका के Annexure "A" में E-Proc e-procesing Fee एवं BOQ Cost से संबंधित जानकारी, Annexure "B" में NIT (निविदा आमंत्रण सूचना) Format, Annexure "C" में Special Notes to Bidder, Annexure "D" में परिमाण विपत्र (BOQ) का Format, Annexure "E" में Technical Bid Sheet का Format, Annexure "F" में Financial Bid Sheet का Format एवं Annexure "G" में F_2 Agreement का Format संलग्न है। नगर निकाय द्वारा संलग्न Format के अनुसार परिमाण विपत्र एवं निविदा आमंत्रण सूचना तैयार कर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निविदा का प्रकाशन किया जाना है। ध्यान रहे कि सभी तरह की निविदा E-tendring के माध्यम से ही की जानी है।

VII. **गृह जल संयोजन कार्य हेतु 1/8" Brass Ferrule का प्रावधान होना चाहिये :–**

योजना के अन्तर्गत जिस सड़क पर पाईप लाईन बिछाने का प्रावधान किया गया हो उस सड़क के दोनों ओर के घरों में निशुल्क गृह जल संयोजन देने का प्रावधान आवश्यक रूप से किया जाय भले ही सड़क के दूसरी ओर के घर दूसरें वार्ड में हो। एक परिवार को एक ही गृह जल संयोजन देने का प्रस्ताव रखा जाय। प्रत्येक घर को गृह जल संयोजन 1/8'' साईज के Ferule से ही उपलब्ध कराया जाय। प्रत्येक घरों में गृह जल संयोजन का कार्य 1829.00 रूपये के तकनिकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार ही किया जाना है। नगर निकायों द्वारा गृह जल संयोजन देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे

एक प्रमाण–पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है।

VIII. **नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी योजनाओं की अनुश्रवण online की जायेगी :–** https://nagarseva.bihar.gov.in/ Housesurvey/ पर login कर नगर के सभी वार्डो की पेयजल योजनओं की online entry कर दी जाय। और ऐसे परिवारों को सर्वे data में से चुन कर online प्रगति कार्य software में entry किया जाय।

3. योजनाओं की स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण :–

शहर के सभी वार्डो के सभी परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु वरीयता के आधार पर योजना संख्या दी जाए और सभी योजनाओं की अनुमोदन नगर निकाय बोर्ड से प्राप्त की जाए जिसकी सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजकर राशि की मांग की जाए। बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 7 दिन में योजना की प्राक्कलित राशि के अनुसार BOQ बनाकर ई–निविदा आमंत्रित की जाए। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि निविदा प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह रखी जाय। निविदा प्राप्त होने के 2 सप्ताह के अंदर न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश जारी किया जाए और इसकी सूचना https://nagarseva.bihar.gov.in/Housesurvey/ पर login कर entry कर दी जाय। शहर के सभी वार्डो के सभी परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु एक वार्ड/अन्तरवार्ड के लिये बनाई गयी योजना का ग्रुप बनाया जाना है एवं सभी ग्रुपों की निविदा एक साथ किया जाना है, ताकि शहर के सभी घरों को एक साथ जलापूर्ति की जा सके।

4. योजनाओं का कार्यान्वयन :–

किसी भी योजना के कार्यादेश जारी करने के पश्चात् ठेकेदार को Site उपलब्ध कराकर अविलम्ब कार्य शुरू करने का निर्देश दिया जाए। सर्वप्रथम नलकूप निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। सफतलापूर्वक नलकूप का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त ही पाईप क्रय एवं बिछाने का कार्य शुरू किया जा सकता है। पाईप लाईन बिछाने के पूर्व पाईप के Material की गुणवत्ता की जॉच अवश्य की जानी चाहिए। आवश्यक हो तो अधिकृत Laboratory में पाईप की टेस्टिंग करवाई जाए। पाईप Manufacturer की इंडस्ट्री में पाईप की टेस्टिंग तृतीय पक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से करें। निविदा में पाईप की टेस्टिंग निविदादाता के खर्चे पर करवाने का प्रावधान रखा जाए। पाईप लाईन Road Level से कम से कम 1.0 मीटर गहराई में बिछानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पाईपों के जवाईंट लीक प्रूफ हों। 3 मीटर से कम की चौड़ाई की गली जो Motorable नही है वहाँ पर 1 फीट की गहराई पर उचित Cover के साथ पाईप विछायी जा सकती है जिससे गृह जल संयोजन करने में सुविधा हो। G.I पाईप Tata/Jindal Medium Class का इस्तेमाल किया जाय। सी0आई0 पाईप Electrosteel/Kapilance/Tata का इस्तेमाल किया जाय। आई0एस0आई0 Mark HDPE पाईप ख्याति प्राप्त निर्माणकर्त्ता का इस्तेमाल किया जाय। MDPE/CPVC पाईप भी ख्याति प्राप्त निर्माणकर्त्ता से प्राप्त किया जाय। सभी पाईप आई0एस0आई0 Mark होने चाहिए। पाईप लाईन के गढ़्ढे को भरने से पूर्व पाईप लाईन के अंतिम छोर को बंद कर एवं पाईप के प्रथम छोर पर pressure guage लगाकर

निर्धारित pressure जॉच करनी चाहिए। पाईप लाईन की टेस्टिंग के समय डुडा के अभियंता आवश्यक रूप से Site पर उपस्थित रहें। यदि पाईप लाईन निर्धारित pressure से पूर्व ही लीक करे तो ठेकेदार को पूरी पाईप लाईन को सुधारने हेतु निर्देश प्रदान करें।

नगर पंचायतों में मात्र HDPE पाईप का व्यवहार किया जाय। नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्र में नगर निकाय HDPE/CI/DI/GI पाईप का व्यवहार कर सकती है।

5. अनुश्रवण :–

नगर निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का अनुश्रवण नगर निकाय स्तर पर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा किया जाएगा। नगर निकाय द्वारा नगर सेवा की Website https://nagarseva.bihar.gov.in/Housesurvey/ पर login कर पूर्व में entered योजनाओं में से सम्बन्धित योजना संख्या को Click कर योजना की साप्ताहिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति दर्ज किया जाना है। जिसकी समीक्षा नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारी online कर सकते है। अपेक्षित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति न होने पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित नगर निकाय से स्पष्टीकरण मॉगा जा सकता है। योजना के प्रत्येक अवयव की गुणवत्ता के लिए नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। डुडा के कार्यपालक अभियंता एवं नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी संयुक्त रूप से जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर योजनाओं के निगरानी हेतु एक अभियंता की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

विभागीय स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु उप सचिव स्तर के एक पदाधिकारी अथवा कार्यपालक पदाधिकारी को एक प्रमंडल के अन्तर्गत आने वाले सभी शहरों के अनुश्रवण की जिम्मेदारी होगी जो योजना के कार्यान्वयन के दौरान कम से कम एक बार निरीक्षण कर विभाग के सचिव/प्रधान सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. संधारण :–

योजना के पुरा होने के पश्चात् 5 वर्ष तक संचालन/रख–रखाव करने का कार्य संबंधित संवेदक के माध्यम से करने का प्रावधान प्राक्कलन/परिमाण विपत्र में किया जाना चाहिए। संचालन/रख–रखाव कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संवेदक को भुगतान किया जा सकता है। विकल्प के रूप में योजना का संधारण करने के लिये 5 वर्ष के बाद निजी Agency को Outsource किया जा सकता है।

नलकूप से पेयजल सीधे पाईप लाईन के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र के सभी परिवारों को प्रतिदिन निश्चित समय पर प्रातः एवं संध्या में 8–8 घंटे वितरित किया जाएगा ताकि प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो सके। निर्धारित पेयजल आपूर्ति के समय विद्युत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में VAT (Water Tank) को हमेशा भरा रखा जाना चाहिए।

सिद्वांततः प्रत्येक योजना के संधारण पर होने वाला व्यय (मुख्यतः विद्युत विपत्र) Water Consumers से User Charges वसूल कर पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक नगर निकाय को नगर विकास एवं

(28)

आवास विभाग द्वारा जारी User Charges Notification 1250 दिनांक– 12.07.2013 को अपने Board से अनुमोदन करा कर लागू करे और Water Conusmers से User Charges वसूल कर अलग बैंक खाता में जमा करना चाहिए। नगर निकायों को Online Water Charge वसूलने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुलभ प्रसंग हेतु अधिसूचना की प्रति मार्गदर्शिका के साथ Annexure - H पर संलग्न है।